(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 17–एक/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–9–2003 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 27/अपील/2002–03.

.....

श्रीमती नारंगीबाई उर्फ निर्मलाबाई
पति भगवानराव देशमुख देउलगांव
तहसील बुलढाणा महाराष्ट्र

..... आवेदिका

विरूद्ध

धैर्यशीलराव पिता गोविन्द राव
निवासी ग्राम अडगांव तहसील बुरहानपुर

.....अनावेदक

श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक– आवेदक
श्री प्रमोद पाटिल, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष ग्राम अडगांव तहसील व जिला बुरहानपुर स्थिति भूमि सर्वे नम्बर 150/1 व 340 कुल रकबा 2.48 हेक्टेयर पर मृतक गोविन्दराव के स्थान पर अपना नामान्तरण वसीयतनामे के आधार पर कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–12–01 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–9–03 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष गोदनामा एवं वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक द्वारा नामान्तरण चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा गोदनामे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है व वसीयतनामें में काटपीट होने के तथ्य पर बिना विचार किये नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक आदेश है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में 22 वर्ष के व्यक्ति को गोद लेना दर्शाया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार व्यस्क व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा के साक्षियों को बुलाकर उनकी साक्ष्य नहीं ली गई है अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् वसीयतनामा को साक्ष्य से प्रमाणित कर आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त

करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का दावा माननीय उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुका है इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कोई स्वत्व नहीं रह जाता है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा वसीयत के संबंध में भी स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है, जो कि वैधानिक एवं उचित है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2003 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर